तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-8-21	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित पत्रावली पर न्यायोचित प्रार्थी संबंधित दस्तावेज होने से ... की आवश्यकता नहीं थी अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29-9-21 को पेश हो।	
29-9-21	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25-11-21 को पेश हों।	
25-11-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-1-22 को पेश हों।	
6-1-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24-2-22 को पेश हों।	
24-2-22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित। अन्तिम बहस अपीलान्ट सुनी गई बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

16/अपील/2018
दायरा दिनांक 21.06.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. हसंराज आत्मज लखमा जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज लखमा जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. भूलीबाई पुत्री लखमा पत्नी हरिशचन्द्र जाति मीणा निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. बैंक ऑफ बडौदा जर्ये शाखा प्रबंधक शाखा लाखेरी तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. ग्राम पंचायत माखीदा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. नायब तहसीलदार, नायब तहसील लाखेरी जिला बून्दी राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– रेस्पोडेन्टगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 आर0एल0एक्ट।
उपस्थित :– 1. एडवोकेट सुरेश वर्मा (अपीलान्ट)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24.02.2022

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है कि वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ (बून्दी) सिति आराजी खसरा संख्या 118, 122, 51, 378 कुल किता 4 कुल रकबा 4.24 हैक्ट0 भूमि में रामकंवरी बाई बेवा लखमा द्वारा अपना हिस्सा 1/4

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

पजीकृत हक–त्याग से अपने पुत्र रामेश्वर के नाम त्याग दिया। इस पजीकृत हक–त्याग के आधार पर दर्ज व तस्दीक हुआ। नामान्तकरण संख्या 286 नियमतः गलत है। क्योकि रामकंवरी के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडौदा के रहन दर्ज थी। रहनमुक्त करवाये बिना हक–त्याग करना एवं नामान्तकरण करना नियमतः गलत है।नामान्तकरण की जॉच के दौरान राजस्व कार्मिक की यह टिप्पणी की कि रामकंवरी के हिस्से का रहन हकग्रहिता के पक्ष में यथावत रहेगा। इस प्रकार रामकंवरी के हिस्से की भूमि रहन होने की जानकारी राजस्व कार्मिक को होना जाहिर किया है। इस नामान्तकरण को तस्दीक करते वक्त राजस्व कार्मिकों व सरपंच द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हितों का ध्यान नही रखा गया।नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया न ही सुना गया।जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है।

इसलिए सदंर्भित नामान्तकरण संख्या 286 अपास्त कर अन्य न्यायोचित सहायता उपलब्ध करवायी जावे।अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस एक तरफा सुनी।अधिवक्ता ने अपील में अकिंत तथ्यात्मक तर्क दोहराते हुए बैंक के नाम रहन होते हुये भी तस्दीक किये गये नामान्तकरण को खारिज /अपास्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर पाया कि संदर्भित प्रकरण में सहखातेदार माता रामकंवरी ने अपने सहखातेदार पुत्र के पक्ष में पजींकृत हक–त्याग पत्र से अपना हिस्सा त्याग किया है।जिसके आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी है।वर्ष 2009 तक हंसराज पुत्र लखमा मीणा एवं श्रीमति रामकंवरी पत्नी लखमा का किसान क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बडौदा होने सबंधी अप्रमाणित दस्तावेज को सही भी माना जावे तो उससे संदर्भित भूमि नामान्तकरण स्वीकृति के दिन बैंक रहन दर्ज होने की पुष्टि नही होती क्योकि नामान्तकरण संख्या 286 की प्रमाणित प्रति के कॉलम संख्या 7 में रहन संबधी कोई अकंन नही है एवं अपीलार्थी द्वारा बैंक को प्रत्यक्षी बनाये जाने के बावजूद बैंक द्वारा रहन भूमि के हकत्याग के सबंध में किसी प्रकार की आपत्ति व जवाब प्रस्तुत नही किया है। हित रक्षण का मौका दिये जाने पर भी बैंक द्वारा पक्ष प्रस्तुत नही करना व आपत्ति प्रस्तुत नही करना।नामान्तकरण के दिन भूमि बैंक रहन होने के सबंध में सदेंह पैदा करता है।

इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में अपीलार्थी भूमि बैंक के पक्ष में रहन होना व पजींकृत हक–त्याग से उसका हित प्रभावित होना सिद्व नही कर पाया है।पजींकृत हक–त्याग से किये गये अतरण के आधार पर दर्ज संदर्भित नामान्तकरण संख्या 286 को नियमानुसार तस्दीक किया गया है।अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner